

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक, भू-अर्जन-संह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार पटना।

पटना 15 दिनांक-09-09-16


विषय:-

मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 001 निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष 0103 विभाग के मुख्यालय एवं कार्यालय का आधुनिकीकरण मांग सं0-40 विपत्र कोड-P2029000010103 विषय शीर्ष 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7,00,000/- (सात लाख) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-412(3)/रा0 दिनांक-09.09.2016 के आलोक में विभागीय/ क्षेत्रीय पदाधिकारियों/ कर्मियों के कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीकी के जानकारी देने हेतु प्रशिक्षित करने से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्षमता वर्द्धन-राज्य योजनान्तर्गत कुल 7,00,000/- (सात लाख) रुपये मात्र आवंटित की जाती है।


2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जायगी।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ शीघ्र भेज दी जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

क०प०उ०


ज्ञापांक- ३१(५) /रा०, पटना-15, दिनांक- ०९-०९-१६

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक- ३१(५) /रा०, पटना-15, दिनांक- ०९-०९-१६

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट) बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ विभागीय लेखा शाखा-2 (दो प्रतियों में)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- ३१ ०५ /रा०, पटना-15, दिनांक :- ०९-०९-१६

प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।